

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2561]

नई दिल्ली, शुक्रवार नवम्बर 8, 2013/कार्तिक 17, 1935

No. 2561]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2013/KARTIKA 17, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2013

का.आ. 3399(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एलपीजी परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मंगलूर-हासन-मैसूर-सोलूर पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन श्रीरंगपट्टणा तालूका, मन्ड्या जिला, कर्नाटक राज्य में बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी और विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, मंगलूर-हासन-मैसूर-सोलूर पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम, नं-250, आर.एस नाइडू नगर, कसरे III स्टैज, मैसूर-570007, कर्नाटक को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालूका : श्रीरंगपट्टणा

जिला : मन्ड्या

राज्य : कर्नाटक

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल	
			एकड़	गुन्टा
1	2	3	4	5
1	1. बस्तीपुरा	8 1/2	0	0 6
2		8 2	0	2 0
3		8 3	0	1 2
4		6 3/1	0	1 4
5	2. अनगहल्ली	2 0	0	0 4
6		2 2	0	0 2

[फा.सं. आर-31015 / 29 / 2013-ओआर-II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2013

S. O. 3399(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of LPG, Mangalore Hassan Mysore Solur Pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid at Srirangapatna Taluk, Mandya District in Karnataka State, which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to The Competent Authority & SLAO, Mangalore-Hassan-Mysore-Solur LPG Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Government of India Enterprises, No.250, R. S. Naidu Nagar, Kesare III Stage, Mysore -570 007, Karnataka.

SCHEDULE**Taluk : Srirangapatna****District : Mandya****State : Karnataka**

Sr. No.	Name of Village	Survey No.	Area	
			Acres	Guntas
1	2	3	4	5
1	1.Bastipura	81/2	0	06
2		82	0	20
3		83	0	12
4		63/1	0	14
5	2.Anagahalli	20	0	04
6		22	0	02

[F. No. R-31015/29/2013-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.